हिमाल्यन वन अनुसंधान संस्थान, शिमल्ा द्वारा अन्य सेवाओं के कर्मियों के लिए वनों से संबंधित अधिनियमों पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

हिमाचल प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का दो तिहाई भाग कानूनी तौर पर वनों की श्रेणी में वर्गीकृत है । वर्तमान में प्रदेश में बहुत से सम्पर्क मार्गों व राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के अतिरिक्त सड़कों के चार लेन भी निर्माणाधीन है । इसी प्रकार प्रदेश में अनेक सिंचाई एवं पेयजल परियोजनांए तथा जलविद्युत परियोजनांए भी प्रस्तावित है । हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बहुत से सामुदायिक भवन, औषधालय व विद्यालय भवन भी बनाए जाने हैं । उपरोक्त सभी विकासात्मक गतिविधियों में पूर्ण व आंशिक रूप से वन भूमि का उपयोग होना स्वभाविक है । इसी के दृष्टिगत हिमाल्यन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला द्वारा 6 दिसम्बर, 2017 से 8 दिसम्बर, 2017 तक वनों से संबंधित अधिनियमों पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के इंजिनियरों के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के खण्ड विकास अधिकारियों ने भाग लिया ।

इस अवसर पर निम्नलिखित वन अधिनियमों का प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा दिया गया :-

1. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 - Forest (Conservation) Act 1980
2. वन अधिकार अधिनियम, 2006 - Forest Rights Act, 2006
3. भारतीय वन अधिनियम, 1927 - Indian Forest Act, 1927
4. वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 - Wildlife (Protection)Act, 1972
5. हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम, 1978- Himachal Pradesh Land Preservation Act, 1978

डॉ० के० एस० कपूर, समूह समन्वयक अनुसंधान ने संस्थान की ओर से प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनन्दन किया ।

संस्थान के निदेशक, **डॉ० वी०पी० तिवारी** ने तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए वन अधिनियमों की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला । उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर ग्रामवासी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से वनों पर निर्भर हैं और वनों का प्रदेश की आर्थिकी में महत्वपूर्ण योगदान है । बढ़ती जनसंख्या के कारण विकासत्मक गतिविधियों के लिए वन भूमि पर दबाव बढ़ रहा है ।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय,

चण्डीगढ़ के अरण्यपाल श्री **एस० डी० शर्मा** ने वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की विस्तृत जानकारी दी और प्रतिभागियों को विकासात्मक गतिविधियों के वन भूमि से संबंधित प्रस्तावों के ऑनलाइन आवेदन करने का प्रशिक्षण दिया ।

वन मण्डल अधिकारी, शिमला, श्री **अमित शर्मा** ने प्रस्तुती के माध्यम से बताया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत कुछ विकासात्मक गतिविधियों के लिए यदि वन भूमि 01 हेक्टेयर से कम वांछित हो, काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 75 से अधिक न हो तथा यह ग्राम सभा द्वारा अनुशंसित हो तो उन मामलों में संबंधित वन मण्डल अधिकारी से अनुमति ली जा सकती हे ।

वन्य जीव की महता एवं वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम विषय पर **डा० संजीवा**

पाण्डे, प्रधान मुख्य अरण्यपाल (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने महत्वपूर्ण जानकारी दी और संरक्षण एवं विकास में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता की बात कही ।

संयुक्त सचिव (वन) हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम, 1978 के बारे में विस्तार से चर्चा की । उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं की जानकारी प्रतिभागियों के साथ साझा की ।

प्रशिक्षण के दूसरे दिन प्रतिभागियों को वन्य जीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuary) शिमला एवं कूफरी चिड़ियाघर (Zoo) का भ्रमण करवाया गया । वनमण्डल अधिकारी (वन्य जीवन), शिमला ने अभयारण्य व चिड़ियाघर के महत्व एवं प्रबंधन से प्रतिभागियों को अवगत कराया । प्रशिक्षण में भाग लेने वाले समस्त इंजिनियर्स एवं खण्ड विकास अधिकारियों ने वनों से संबंधित

अधिनियमों पर प्रशिक्षण को अत्यन्त लाभप्रद बताया ।

समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए **श्री यशवंत सिंह चोगल,** सदस्य सचिव, स्टेट लीगल सर्विस ऑथोरिटी ने वन अधिनियमों के महत्व पर प्रकाश डाला और प्रदेश की वन संपदा एवं वन भूमि के सतत् उपयोग पर बल दिया । उन्होंने वन एवं वन भूमि के कानूनी पहलुओं से प्रतिभागियों को अवगत कराया । श्री चोगल ने वन अधिनियमों पर प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान की सराहना की और विश्वास व्यक्त किया कि वन सम्पदा एवं वन भूमि का सतत् उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सहायक सिद्ध होगा ।

अंत में प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम निदेशक श्री प्रदीप भारद्वाज, उप-अरण्यपाल ने संस्थान की ओर से मुख्य अतिथि, संसाधन व्यक्तियों एवं प्रतिभागियों का धन्यवाद किया ।

****

प्रशिक्षण कार्यक्रम की झलकियाँ

श्री प्रदीप भारद्वाज, उप-अरण्यपाल, पाठ्यक्रम निदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम बारे अवगत करवाते हुए

श्री अमित शर्मा, वन- मंडल अधिकारी, शिमला

श्री संजीवा पाण्डेय, प्रधान मुख्य अरण्यपाल

श्री सतपाल धीमान, संयुक्त सचिव (वन)

श्री एस .डी शर्मा अरण्यपाल (केन्द्रीय)

क्षेत्रीय भ्रमण

निदेशक महोदय द्वारा समापन समारोह के मुख्य अतिथि, श्री यशवंत सिंह चोगल, सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण का स्वागत

मुख्य अतिथि द्वारा संबोधन

पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
2017
परिवर्तन मंत्रालय

वन अनुसंधान संस्थान
हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान
शिमला
अन्य सेवाओं के अधिकारियों के लिए
वनो से संबंधित अधिनियमों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
06 से 08 दिसम्बर, 2017

मीडिया कवरेज

अफसरों ने जाने वन विभाग के नियम

प्रशिक्षण कार्यशाला में पहुंचे पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, पंचायती राज विभाग व बिजली बोर्ड के आधिकारी

शिमला : हिमालयन वन अनुसंधान के सौजन्य से अधिनियमों पर आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर मौजूद सदस्य सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यशवंत सिंह चोगल, अन्य मेहमान व प्रतिभागी

■ दिव्य हिमाचल ब्यूरो, शिमला

हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा छह से आठ दिसंबर तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वनों से संबंधित अधिनियम विषय पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की वित्तीय सहायता से इस कार्यक्रम का आयोजन संस्थान के पंथाघाटी स्थित परिसर में किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेडव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के 33 अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के समापन समारोह की अध्यक्षता यशवंत सिंह चोगल, सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने की। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला के निदेशक डा. वीपी तिवारी ने यशवंत सिंह चोगल का स्वागत किया। प्रशिक्षण कोर्स निदेशक, प्रदीप भारद्वाज ने बताया कि इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान वन अधिकार अधिनियम, वन (संरक्षण) अधिनियम, वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम तथा भारतीय वन अधिनियम पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों जैसे स्कूलों, चिकित्सालयों, सामुदायिक भवनों, प्रसाधन कक्षों इत्यादि के निर्माण के लिए यदि वन भूमि एक हेक्टेयर से कम वांछित हो और इस कार्य के लिए काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 75 या इससे कम हो, तो इस वन भूमि को वन मंडल अधिकारी द्वारा ही स्वीकृत किया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान डा. संजीव पांडेय, प्रधान मुख्य अरण्यपाल (शोध एवं प्रशिक्षण) हिमाचल प्रदेश ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही प्रशिक्षणार्थियों को शिमला जलग्रहण क्षेत्र तथा जीव-जंतु वाटिका कुफरी का दौरा भी करवाया गया। प्रशिक्षण के तीसरे दिन एसडी शर्मा, अरण्यपाल (केंद्रीय), पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए यशवंत सिंह चोगल, सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि इस वर्ग के अधिकारियों का विकासात्मक गतिविधियों के संचालन में विशेष एवं अग्रणी योगदान रहता है। कार्यक्रम के अंत में प्रदीप भारद्वाज, उप-अरण्यपाल ने सभी मेहमानों तथा प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

दिव्य हिमाचल Sat, 09 December 2017
epaper.divyahimachal.com//c/24741037

वन अनुसंधान संस्थान में प्रशिक्षण संपन्न

शिमला, 8 दिसम्बर (ब्यूरो): हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा पंथाघाटी में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हो गया है। इसमें विभिन्न विभागों से आए प्रतिभागियों को वनों से संबंधित अधिनियमों की जानकारी दी गई। समापन समारोह की अध्यक्षता सदस्य सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यशवंत सिंह चोगल ने की।

पंजाब केसरी ई-पेपर
Sat, 09 December 2017
epaper.punjabkesari.in//c/24627641

शिमला : हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित कार्यशाला के दौरान संयुक्त चित्र में प्रतिभागी। (नि.स.)

पंजाब केसरी ई-पेपर
Sat, 09 December 2017
epaper.punjabkesari.in//c/24627580

'अधिनियमों की बदौलत ही संरक्षित है वन क्षेत्र'

शिमला। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम तथा वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम विषय पर बुधवार से तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के निदेशक डॉ. वीपी तिवारी ने किया।

तिवारी ने कहा कि विधान के अंतर्गत बनाया गया नियम, अधिनियम या एक्ट कहलाता है। कहा कि भारत सरकार ने देश के वन्य जीवन की रक्षा करने और प्रभावी ढंग से अवैध शिकार, तस्करी और वन्य जीवन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया। इनमें अपराधों के लिए सजा और जुर्माना और अधिक कठोर बना दिया गया।

कार्यक्रम में पीसीसीएफ संजीवा पांडेय, अमित शर्मा, डीएफओ शिमला, यशवंत सिंह चोगल, सदस्य सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आदि उपस्थित थे। ब्यूरो

शिमला में तीन दिन वन अधिकारियों की पाठशाला

▪ दिव्य हिमाचल ब्यूरो, शिमला

▪ **पंथाघाटी में प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान वन संरक्षण पर दी जाएगी जानकारी**

हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला द्वारा छह से आठ दिसंबर तक वन (संरक्षण) अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम तथा वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम विषय पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की वित्तीय सहायता से तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन संस्थान के पंथाघाटी स्थित परिसर में किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य सेवाओं के अधिकारी, जिनका वन भूमि तथा विकासात्मक गतिविधियों के साथ सीधा संबंध है, भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ डा. वीपी तिवारी, निदेशक हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला ने किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयों पर अधिनियम बनाए गए हैं, जिनमें संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम तथा वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम का विशेष महत्व है। वनों के संरक्षण का तथा उससे संबंधित अथवा उससे आनुशंगिक या प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम वन (संरक्षण) अधिनियम का अनुसरण किया जाता है।

दिव्य हिमाचल Thu, 07 December 2017
epaper.divyahimachal.com//c

स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक भवनों को मिलेगी मंजूरी

एक हेक्टेयर में 75 पेड़ काटने की अनुमति दे सकते हैं डीएफओ

सिटी रिपोर्टर | शिमला

प्रदेश में स्कूलों, चिकित्सालयों, सामुदायिक भवनों, प्रसाधन कक्षों के निर्माण के लिए यदि वन भूमि एक हेक्टेयर से कम की जरूरत हो और इस कार्य के लिए काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 75 या इससे कम हो तो इस वन भूमि पर वन मंडल अधिकारी पेड़ काटने की अनुमति दे सकते हैं। वन अधिकार अधिनियम और वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम को लेकर हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उप अरण्यपाल प्रदीप भारद्वाज ने बताया कि वन संरक्षण अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम में लोगों के अधिकारों के बारे में विस्तार जानकारी दी गई है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य सेवाओं के अधिकारी, जिनका वन-भूमि तथा विकासात्मक गतिविधियों के साथ सीधा संबंध है वे इसमें भाग ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के 33 अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के समापन समारोह की में सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यशवंत सिंह चोगल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर एचएफआरआई के निदेशक डॉ. वीपी तिवारी ने वन अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी दी।

इस मौके पर डीएफओ अमित शर्मा ने वन भूमि हस्तांतरण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। प्रशिक्षण के दौरान प्रधान मुख्य अरण्यपाल डॉ संजीव पांडेय ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा उन्होंने विकासात्मक गतिविधियों के संचालन के साथ-साथ वनों एवं पर्यावरण सरंक्षण सरंक्षण के महत्त्व पर बल दिया। संयुक्त सचिव वन सतपाल धीमान ने वनों से संबंधित विभिन्न अधिसूचनाओं तथा वर्तमान नीतियों के बारे में प्रतिभागियों को अवगत करवाया।

प्रशिक्षण के दूसरे दिन इसके साथ ही प्रशिक्षणार्थियों को शिमला जलग्रहण क्षेत्र तथा जीवजंतु वाटिका, कुफरी का दौरा भी करवाया गया तथा समापन समारोह में यशवंत सिंह चोगल ने वानिकी से संबंधित अधिनियमों के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए विभागों की सराहना की।

अनुसंधान संस्थान दे रहा प्रशिक्षण

शिमला, 6 दिसम्बर (ब्यूरो) : हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा पंथाघाटी में भारतीय वन अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम तथा वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला के निदेशक डा. वी.पी. तिवारी ने किया। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर अधिनियम बनाए गए हैं, जिनमें वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम तथा वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक विकास और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए विकास परियोजनाओं के नियोजन अभिकल्पन और क्रियान्वयन के साथ पर्यावरण संबंधी पक्षों को एकीकृत करना आवश्यक है।

पंजाब केसरी ई-पेपर Thu, 07 D
epaper.pu